

Not pressed
due to lack
of further act
and pleading.

वेद
Adv. for applicants

11.03.2024. परावली पेश हुई।

अधिकृत प्रार्थीगण द्वारा।

अधिकृत प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना -
पत्र के जरिये नोटिस खारिज
करने का निवेदन किया।

अतः अधिकृत प्रार्थीगण के निवेदन
पर प्रार्थना पत्र। अन्तर्गत आदेश 39
नियम 2A सिविल प्रक्रिया संहिता सयक्ति
द्वारा 151 को इसी स्तर पर जटिल
नोटिस खारिज किया जा रहा है।

परावली फैसला शुभा केस नम्बर
दे का की जाकर डाले जा रहे हैं।

पनी

सहायक कलेक्टर एवं कानून मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) साधार